

**राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.12(5)नविवि/मंडापुरा (बालोतरा)/2025-15862

जयपुर, दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नगर विकास न्यास, बालोतरा की **“मंडापुरा बहुउद्देशीय वाणिज्यिक योजना”** को अनुमोदित करती है।

उक्त योजना का विकास कार्य एवं निष्पादन अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बालोतरा।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ravi Vijay  
Designation : Deputy  
Secretary To Government  
Date : 10-08-2026 01:18:52

RajKaj Ref No.:  
23841956